राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छीतर बनाम मूलचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/11/25	737/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित	रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पत्रावली पर सुनी गयी	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/05/2025 पारित करते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का चाहा गया अनुतोष ख़ारिज फरमा दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमे रेस्पो. के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट है कि मूल वाद विभाजन का है, ऐसेमें सहखातेदारान के मध्य विभाजन की डिक्री पारित होने तक प्रश्नगत भूमि की मौके की वर्तमान स्थिति अर्थात कब्जे-काश्त इत्यादि में परिवर्तन होता है तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होना सम्भव है, जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक समझा जाता है	इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में उन्हें प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु का परिक्षण/विवेचन कर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना आवश्यक था, परन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना प्रथमदृष्टया जाहिर होता है	ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/05/2025 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये दोनों पक्षों की सुनवाई कर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु का परिक्षण/विवेचन कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे एवं तब तक न्यायहित में विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे	तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 14/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	